न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 42 / 2025 / दावा / बउनवान / रघुवीर बनाम मनोज कुमार वगै0

जीसीएमएस संख्या 2025 / 205

1. रघुवीर पुत्र श्री भैरूलाल जाति मीना निवासी हिंगोनिया तह0. मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. मनोज कुमार पुत्र मदनलाल जाति मीना निवासी हिंगोनिया तह० मांगरोल जिला बारां (राज०)
3. प्रेमचन्द पुत्र मदनलाल जाति मीना निवासी हिंगोनिया तह० मांगरोल जिला बारां (राज०)
4. रामसिया पुत्री मदनलाल पत्नि मुकुटबिहारी जाति मीना निवासी हिंगोनिया हाल निवास महुआ तह० मांगरोल जिला बारां (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, आर.टी.एक्ट

सपठित धारा 136 एल. आर. एक्ट

वकील वादीगण : श्री हरिओम यादव एवं रामसिंह मीणा

वकील प्रतिवादी : राज0 सरकार जरिये तहसीलदार

दायरा दिनांकः 12.02.2025 **निर्णय दिनांक : 13.05.2025**

निर्णय

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि ग्राम पाडलिया पटवार हलका पाडलिया भू.अभि.नि. बोहत तह० मांगरोल जिला बारां (राज०) की बंदोबस्त से पूर्व की जमाबन्दी सम्वत् 2037–40 की खाता संख्या 24 में प्रार्थी के पितामह श्री गोपल पुत्र सुखलाल मीना निवासी हिंगोनिया की खातेदारी मे खसरा संख्या 12 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 137 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 207 रकबा 20 बीघा 4 बिस्वा कुल कित्ता 4 कुल रकबा 72 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें से खसरा संख्या 12 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा भूमि आगे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि बंदोबस्त सम्वत् 2044–2063 के दौरान उक्त भूमि के नवीन खसरा संख्या निम्नानुसार दर्ज किये गये:–

गत खसरा संख्या	रकबा	वर्तमान खसरा संख्या	रकबा
8	14 बीघा 5 बिस्वा	16	2.53 है0,
137	22 बीघा 13 बिस्वा	291	3.72 है0,
207	20 बीघा 4 बिस्वा	339	3.22 है0,
12	15 बीघा 1 बिस्वा	19	2.64 है0,

3. यह कि बाद बन्दोबस्त खसरा संख्या 16 रकबा 2.53 है0, खसरा संख्या 291 रकबा 3.72 है0, खसरा संख्या 339 रकबा 3.22 है0, भूमि तो गोपाल जी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई किन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा अवैधानिक तरीके से अधिकारातीत कार्य करते हुये वर्तमान खसरा संख्या 19 रकबा 2.84 है0, भूमि गोपाल जी की खातेदारी में दर्ज न करते हुये सिवायचक दर्ज कर दी गई, जो कि दुरुस्त किये जाने योग्य है।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

3. यह कि प्रतिवादी क्रम 1 साहबलाल आये दिन बदनीयति से वादी के खाते के वाके माल मूण्डला खसरा नं0. 302 व 296 में दो दिशाओं से पश्चिम में सगे भाई रामराज के खेत खसरा नं0. 300 से मेडबन्दी को तोडकर वादी के खेतों खसरा नं0. 302 रकबा 0.22 है0, एवं खसरा नं0. 296 रकबा 0.26 है0, में कब्जा करने का प्रयास करते रहते है, एवं पूरब में वादी के सामने स्थित अपने खाते के खसरा नं0. 10 व खसरा नं0. 12 से वादी की उपरोक्त आराजी में दखलअंदाजी करके कब्जा करने की नीयत रखते हैं एवं वादी को अपने खसरा नं0. 302 व 296 की आराजी को प्रतिवादी को देने एवं उसके बदले में वादी को अन्य खेत में जमीन देने के लिये दबाव बना रहा है।

4. यह कि प्रतिवादीगण 1 व 2 का कथन है कि मेरे मौके पर जमीन का रकबा कम है और मेरी जमीन के समीप तुम्हारी ही जमीन है जबकि वादी के द्वारा जमीन की हलका पटवारी से पैमाईश करके भी प्रतिवादी क्रम 1 को बता दी गयी है कि तुम्हारी जमीन समीपवर्ती अन्य खातेदार के कब्जे में है किन्तु प्रतिवादी क्रम 1 साहबलाल लडाकू व झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है और आये दिन वादी की मेडबन्दी को पीछे से तोड देता है, खेतों पर मेड रहने ही नहीं देता है, वादी की जमीन पर फसलों में दखलअंदाजी करता रहता है, वादी के ट्रेक्टरों के आगे आ जाता है अपनी पत्नी प्रतिवादी क्रम 2 कौशल्या बाई को सामने करके लडाई–झगडा करने पर आमादा रहता है, वादी व उसके पुत्रों को खेती करने पर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराता रहता है तथा बिना किसी प्राधिकार के वादी को थाने में बुला कर दबाव बनवा रहा है, कि इसके बदले में दूसरी भूमि प्राप्त कर लो। वादी ने गत उडद की फसल अपने खेत में की थी और अभी गेहूँ की फसल करने की तैयारी कर रखी है।

5. यह कि वादी सीधा सादा गरीब काश्तकार है अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करना चाहता है। प्रतिवादी नं0. 1 व 2 के परिजन लडाकू व झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है जो परिजनों की मदद से आये दिन जबरन वादी के तन्हा खातेदारी खेत खसरा नं0. 302 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0. 296 रकबा 0.26 है0, में दखलअंदाजी करता है और जबरन ट्रैक्टर चलाने की कोशिश करता है और कहता है कि यह सारी खसरों की जमीन मेरे कम है और तुम दूसरी और से भूमि ले लो यह सब मेरे अखवान हो जायेगी जबकि वादी उपरोक्त वर्णित भूमियों को वर्षो से लगातार काबिज होकर काश्त कर रहा है, वादी तन्हा ओपन एण्ड हॉस्टाइल काबिज खातेदार है, अनुसूचित जाति की भूमियों पर कानूनन भी प्रतिवादीगण 1 व 2 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

6. यह कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के मन में बदनियत आ गयी है और वादी को गरीब शांतिप्रिय व्यक्ति जानकर के जबरन बलपूर्वक वादी की आराजी खसरा नं0. 302 व 296 पर कब्जा करने पर आमादा है जिसका कि प्रतिवादीगण 1 व 2 को कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है, दिनांक 19.10.2024 को प्रतिवादीगण 1 व 2 ने जबरन बलपूर्वक कब्जा करने की नीयत से वादी के खेत को ट्रैक्टर से हाँकन की कोशिश की और जबरन पश्चिम दिशा से घुसकर के मेडबन्दी को तोडकर वादी के खेतों में जमीन को हाँकने लगे जिस पर वादी व उसके पुत्र ने मना किया तो प्रतिवादी क्रम 2 गाली–गलौच कर पुलिस में जाकर फंसाने की धमकी देने लगी एवं आये दिन वादीगण के हंकाई–जुताई–बुवाई के समय खेत पर आकर व्यवधान करने पर आमादा रहते है ऐलानियाँ धमकी दे रहे हैं कि यह जमीन हम ही लेकर रहेगें तुम्हारी जो इच्छा हो कर लो जो कि प्रतिवादीगण का गैर कानूनी और अवैध कृत्य है उन्हें कोई कानूनी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागरोल सत्यमेव जयते

अंजना महरावत
उपखण्ड अधिकारी
नागरोल

Scanned by CamScanner

अधिकारात हासिल नहीं है कि वादी की तन्हा खाते की आराजी में मदालखत/दखलअंदाजी करे।

7. यह कि प्रतिवादी क्रम 1 के कृत्य की थाना मांगरोल व जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारां को भी परिवाद प्रस्तुत कर दिये हैं किन्तु प्रतिवादीगण के हौंसले बुलन्द है और आये दिन वादी के तन्हा खाते की भूमि खसरा नं0. 302 खसरा नं0. 296 वाके ग्राम मुण्डला में दखलअंदाजी एवं खून खराबा कर कब्जा कर सकते हैं जिससे वादी को अत्यधिक क्षति होगी और वादी अपने हक से भी महरूम हो जायेगा इसलिये वादी के लिये आवश्यक है गया है कि वह प्रतिवादीगण 1 ता 2 के विरूद्ध अतिलम्ब स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित करवाए।

8. यह कि प्रतिवादी नं0. 3 को भू-स्वामी आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है, किन्तु प्रतिवादी क्रम 3 के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं चाही गयी है।

9. यह कि वादकारण दिनांक 19.10.2024 को प्रतिवादीगण 1 ता 2 द्वारा ट्रैक्टर लेकर वादी के खाते की भूमि खसरा नं0. 302 रकबा 0.22 है0, को वादी के पीछे से जबरन बलपूर्वक दोनों नें हांकने का प्रयास कर दखलअंदाजी करने पर उत्पन्न हुआ है।

10. यह कि इस सम्माननीय न्यायालय को वाद-पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

11. यह कि वाद-पत्र उचित न्याय शुल्क लगान के 25 गुना पर कायम किया जाकर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एवं विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमावें :-

(अ) आया एक स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 ता 2 प्रसारित करें कि वादी के खाता संख्या 52 खसरा नं0. 302 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0. 296 रकबा 0.26 है0, वाके माल मूण्डला तहसील मांगरोल में प्रतिवादी 1 व 2 किसी प्रकार से बलपूर्वक प्रवेश करके मदालखत व मजामहत करने का प्रयास न करें न ही ऐसा कार्य अपने विधिक प्रतिनिधियों परिजनों से करवाये।

(ब) अन्य कोई न्यायोचित सहायता हो तो वह भी वादी को दिलवायी जावे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर जरिये समन् प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वादी स्वयं उपस्थित आया। वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन एवं गहनता से मनन किया गया। दौराने बहस वादी का मुख्य कथन यह रहा कि वादी के तन्हा खाते की आराजी खाता संख्या 50 खसरा नं0. 295 रकबा 0.44 है0, 296 रकबा 0.26 है0, 302 रकबा 0.22 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.92 है0, वाके माल मूण्डला में हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज हो रही है। वादी की उपरोक्त भूमियों खसरा नं0. 295, 296, 302 के समीपस्थ प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की कोई भूमि ग्राम मूण्डला के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम नहीं है किन्तु वादी के खसरा नं0. 302 रकबा 0.22 है0, खसरा न0. 296 रकबा 0.26 है0, आराजी वाके ग्राम मूण्डला की मेड के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

समीपस्थ पश्चिम में प्रतिवादी क्रम 1 साहबलाल के सगे भाई रामराज पुत्र पांच्या के खाते का खसरा नं0. 300 रकबा 0.74 है स्थित है, एवं वादी के खेतों के सामने पूरब में ग्राम सींधनिया का माल शुरू हो रहा है जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 साहबलाल के खाते की आराजी खसरा नं0. 10 रकबा 0.28 है0, व खसरा नं0. 12 रकबा 0.12 है0, कुल किता 2 रकबा 0.40 है0, स्थित है। प्रतिवादी क्रम 1 साहबलाल आये दिन बदनीयति से वादी के खाते के वाके माल मूण्डला खसरा नं0. 302 व 296 में दो दिशाओं से पश्चिम में सगे भाई रामराज के खेत खसरा नं0. 300 से मेडबन्दी को तोडकर वादी के खेतों खसरा नं0. 302 रकबा 0.22 है0, एवं खसरा नं0. 296 रकबा 0.26 है0, में कब्जा करने का प्रयास करते रहते है, एवं पूरब में वादी के समाने स्थित अपने खाते के खसरा नं0. 10 व खसरा नं0. 12 से वादी की उपरोक्त आराजी में दखलअंदाजी करके कब्जा करने की नीयत रखते है एवं वादी को अपने खसरा नं0. 302 व 296 की आराजी को प्रतिवादी को देने एवं उसके बदले में वादी को अन्य खेत में जमीन देने के लिये दबाव बना रहा है। प्रतिवादी क्रम 1 साहबलाल लडाकू व झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है और आये दिन वादी की मेडबन्दी को पीछे से तोड देता है, खेतों पर मेड रहने ही नहीं देता है, वादी की जमीन पर फसलों में दखलअंदाजी करता रहता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचन एवं वादी की बहस के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि वाके माल मुण्डला तहसील मांगरोल के आराजी खाता संख्या 52 खसरा नं0. 302 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0. 296 रकबा 0.26 है0 आराजी में प्रतिवादी कम 1 व 2 किसी प्रकार से दखलअंदाजी न करे एवं न ही ऐसा अपने प्रतिनिधि से करावें। उक्त आशय की डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner